भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1368** जिसका उत्तर

शुक्रवार, **09 फरवरी**, **2024/20** माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है

वर्ष 2047 तक महापत्तन

†1368. श्री. पी. वेलुसामी :
श्री. एस. आर. पार्थिबन :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वर्ष 2047 तक देश के पत्तनों को महापत्तनों के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना हेतु अनुमानित निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में देश के सभी पत्तनों से प्रस्ताव मांगे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तमिलनाडु सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (च): जी, हां। छ: पत्तन कलस्टरों में से 300 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) से अधिक की क्षमता वाले चार पत्तन क्लस्टर नामत: कोचीन-विझिंजम पत्तन क्लस्टर, गलाथिया दक्षिण की खाड़ी पत्तन, चेन्नै-कामराजर- कुड्डालोर पत्तन क्लस्टर, पारादीप और अन्य महापत्तनों के अलावा अन्य पत्तन क्लस्टर तथा 500 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) से अधिक की क्षमता वाले दो पत्तन क्लस्टर नामत: दीनदयाल और टूना-टेकरा पत्तन क्लस्टर, जवाहरलाल नेहरू – वधावन पत्तन क्लस्टर को वर्ष 2047 तक मेगा पत्तन के रूप में विकसित किया जाएगा। महापत्तनों द्वारा क्षमता संवर्धन और अवसंरचना में सुधार के लिए शुरू की जाने वाली गतिविधियों को मैरीटाइम अमृतकाल विजन, 2047 में शामिल किया जाना है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से महापत्तनों में अवसंरचना सुधार और क्षमता संवर्धन संबंधी कार्य पहले ही प्रगति पर हैं।

*****